



क्रमांक: निसंशि/मेरिट/पं.4(1)/अध्यापक/2021/10836-84/ दिनांक: 09/05/2023
आदेश

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा राजस्थान द्वारा अध्यापक लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) सामान्य (नॉनटीएसपी) पद पर निम्नलिखित आदेश द्वारा नियुक्तियां प्रदान कर नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 27.04.2023 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था-

क्र.सं.	आदेश क्रमांक	आदेश दिनांक	विषय-क्षेत्र
1	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.4(1)/अध्यापक/2021/10080-90	13.04.2023	सामान्य-नॉनटीएसपी

उपर्युक्त नियुक्ति आदेश द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा नियत तिथि 27.04.2023 तक कार्यारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यग्रहण हेतु पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यग्रहण अवधि दिनांक 15.05.2023 तक बढ़ायी जाती है। नियत दिनांक 15.05.2023 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मूल नियुक्ति आदेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(डॉ० भास्कर शर्मा)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
2. सम्बन्धित संकुल प्रभारी।
3. संस्थापन शाखा-4, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
5. वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Bhaskar Sharma
Designation: Director
Date: 2023.05.08 17:00:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3793445

